

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 22/07/2025

क्र. IPI/5/0064/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स प्रतिभा सिन्टेक्स लि. द्वारा पीथमपुर स्थित विद्यमान इकाईयों में लगभग रुपये 145.26 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश (पुनरीक्षित रु. 180.92 करोड़) से विस्तार एवं आधुनिकीकरण तथा गार्मेंटिंग परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIP22993) पर शासनादेश दि. 14.02.2022 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुनरीक्षित पुर्नविलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता-परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 14.02.2022 द्वारा स्वीकृत निवेश प्रोत्साहन सहायता को संशोधित करते हुए पात्र अस्तियों में किये गये निवेश पर 40 प्रतिशत की स्थिर दर से निर्यात गणक को सम्मिलित करते हुए प्रदान की जावे। विस्तार परियोजना होने के कारण रोजगार गणक की पात्रता नहीं होगी।
2. विभागीय आदेश क्र. एफ 16-32/2021/ए-ग्यारह, दिनांक 14.02.2022 द्वारा परियोजना को स्वीकृत अन्य सुविधायें यथावत रखी जाती हैं।
3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।
4. यह आदेश निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 01/07/2025 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार

  
(राघवेन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 22/07/2025

पृ. क्र. IPI/5/0064/2023 /ए-ग्यारह  
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला- धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिगनेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स प्रतिभा सिन्टेक्स लि., 701, एनआरके, बिजनेस पार्क, स्कीम न. 54, विजय नगर स्क्वायर, इन्दौर।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग